श्री हिंगुलायै नमः

ब्रह्मक्षत्रिय मारवाड़ी खत्री एसोसिएशन

(पूर्व नाम: अखिल भारतीय मारवाड़ी ब्रह्मक्षत्रिय महासभा)

महासभा नीड कम मैरीट लोन स्कॉलरशिपः पॉलिसी डॉक्युमेंट - 2025

नाम

इस स्कॉलरशिप का नाम "महासभा नीड कम मैरीट लोन स्कॉलरशिप" होगा।

उद्देश्य

समाज के जरुरतमंद व प्रतिभावान छात्रों के उच्च अध्ययन (जिसे आगे परिभाषित किया जा रहा है) में सहायक बनना ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समय आने पर अन्य छात्रों के लिये सहायक बन सकें।

स्वरूप

इस छात्रवृत्ति का स्वरुप ब्याज मुक्त ऋण सदृश वित्तीय सहायता है, जिसे प्राप्तकर्ता को रोजगार युक्त होने पर लौटाना होगा ताकि वह अन्य की सफलता में सहायक बन कर गर्व अनुभव कर सके। इसमें शैक्षणिक संस्थान की शुल्क राशि का प्रावधान होगा, जो संस्थान के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

कोष प्रबंध

छात्रवृत्ति के लिये कोष का प्रबंध स्थायी सहयोग सदस्यता से किया जायेगा। सदस्यता के प्रकार एवं योगदान:

1. रु 5100 वार्षिक अंशदान – 200 सदस्यों का लक्ष्य। इन सदस्यों को ससम्मान शिक्षा मित्र की उपाधि दी जायेगी।

2. रु 11,000 वार्षिक अंशदान – 100 सदस्यों का लक्ष्य। इन्हें ससम्मान शिक्षा परममित्र की उपाधि दी जायेगी।

यह अंशदान प्रतिवर्ष जुलाई व अगस्त माह में ही ऑनलाइन माध्यम से महासभा के अधिकृत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

पात्रता

1. विद्यार्थी मारवाड़ी ब्रह्मक्षत्रिय समाज का हो।
2. पिछली परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किये हो।
3. परिवार की वार्षिक आय रु पांच लाख या कम हो।
4. समाज की किसी अन्य संस्था से उसी सत्र के लिये छात्रवृत्ति न प्राप्त की हो।
5. छात्रवृत्ति एक परिवार से एक विद्यार्थी को ही दी जा सकेगी।

उच्च अध्ययन

चूंकि यह छात्रवृत्ति उच्च अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है, उच्च अध्ययन को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है।

उच्च अध्ययन का अर्थ है कक्षा 12 यानी सीनियर सैकंडरी करने के बाद यूजीसी, एआईसीटीई, स्टेट, यूनीवर्सिटी से मान्यताप्राप्त डिप्लोमा, डिग्री, व्यवसायिक योग्यता।

इसमें शामिल हैं:

1. अंडरग्रेजुएट कोर्स जैसे बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, बी टैक, एम बी बी एस आदि।
2. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे एम ए, एम एस सी, एम कॉम, एम बी ए आदि।
3. प्रोफेशनल कोर्स जैसे सी ए, सी एस, सी एम ए, एल एल बी, नर्सिंग, फार्मेसी आदि।
4. न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा व सर्टिफिकेशन कोर्स, यदि मान्यताप्राप्त संस्थान से ही हो।
5. भारत या विदेश में मान्यताप्राप्त उच्च अध्ययन।

इसमें शामिल नहीं हैं:

1. स्कूल शिक्षा कक्षा 1 से 12.
2. नॉन एकेडमिक या हॉबी कोर्स जैसे संगीत, पैंटिंग आदि लेकिन प्रॉफेशनल डिग्री या डिप्लोमा को छोड़कर।
3. एक वर्ष से कम का कोई कोर्स।

आवेदन प्रक्रिया

1. विद्यार्थी को निर्धारित ओनलाइन फॉर्म भर कर उसमें पूछे गये सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
2. फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे - फोटो युक्त परिचय पत्र जैसे आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछली परीक्षा की अंकतालिका, आय का प्रमाणपत्र / आय का सबूत, शैक्षणिक संस्थान का प्रवेश पत्र / प्रवेश का सबूत, कोर्स या डिग्री का प्रॉसपेक्ट, संस्थान के बैंक खाते का विवरण।

3. आवेदन में यह घोषणा की जाएगी कि आवेदक छात्रवृत्ति के स्वरूप व उद्देश्य के प्रति जागरूक है कि यह एक ऋण छात्रवृत्ति है, जो उसे वापस लौटानी है। आवेदन में दी गयी जानकारी सही है व गलत पायी गयी तो छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है।
4. ओनलाइन फॉर्म की एक हार्डकॉपी मय सभी संलग्नकों के विद्यार्थी व उसके पिता या संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित महासभा को देनी होगी।

चयन प्रक्रिया

1. प्राप्त आवेदनों की जांच महासभा द्वारा गठित छात्रवृत्ति समिति करेगी।
2. नीड कम मैरीट को ध्यान में रखते हुये समिति आवेदकों की वरियता सूची बनाकर पात्र विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की अनुशंसा करेगी।
3. अंतिम स्वीकृति महासभा अध्यक्ष व मंत्री द्वारा दी जायेगी।
4. स्वीकृति के अनुसार शुल्क राशि सीधे शैक्षणिक संस्थान के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

ऋण छात्रवृत्ति की वापसी

1. चूंकि यह ऋण छात्रवृत्ति है और विद्यार्थी के रोज़गार युक्त होने पर इसे लौटाना उसका दायित्व है।
2. रोजगार युक्त होते ही विद्यार्थी महासभा को सूचित करेगा व छ: महीने बाद लौटाना शुरु करेगा।
3. राशि 24 मासिक किश्तों में लौटाई जायेगी। चाहे तो एक मुश्त भी लौटा सकते हैं।
4. विशेष परिस्थितियों में समय सीमा पर समिति पुनर्विचार कर सकेगी।

अन्य:

1. गलत सूचना देने पर छात्रवृत्ति रद्द की जा सकेगी।
2. समिति की अनुशंसा व अध्यक्ष और मंत्री का निर्णय अंतिम होगा। परिस्थिति देखते हुये अध्यक्ष व मंत्री परिस्थिति अनुरूप निर्णय करने में सक्षम होंगे।
3. छात्रवृत्ति नीति में समय समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

जोधपुर, 30.06.2025